State Government was Rs. 140.20 lakhs.

Plate and Vessel Project Sponsored by FACT, Alwaye, (Kerala)

6207. **Shri Vasudevan Nair:**
Shrimati Suseela Gopalan:
Shri A. K. Gopalan:
Shri C. K. Chakrapani:

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the FACT has sponsored a plate and vessel project with foreign collaboration; and

(b) if so, whether Government have examined this proposal and whether any decision has been taken?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and of Planning and Social Welfare (Shri Raghuramaiah): (a) and (b). M/s. FACT had sponsored a proposal for the establishment of a project for the manufacture of pressure vessels, heat-exchangers etc. as a joint venture with a foreign firm; but the foreign firm has since expressed its inability to collaborate in the venture through equity participation. M/s. FACT are now examining other possibilities of undertaking the project.

आयकर विभाग द्वारा करों की राशि लौटाई जाना

6208. **श्री ब्रह्मनन्द जी :**
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री राम सिंह अयरवाल :

क्या **वित्त** मंत्री 25 मई, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 276 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर विभाग में करों की वापसी के सम्बन्ध में अनिर्णित मामलों को इस बीच अन्तिम रूप दे दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसमें और कितना समय लगने की सम्भावना है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) पहले वाला प्रश्न संख्या 276 दिनांक 25 मई, 1967 को पूछा गया था । इस तारीख को कर की वापसी के अनिर्णित पड़े मामलों में से बहुत से मामले इस बीच निपटाये जा चुके हैं ।

(ख) इस उत्तर के साथ अनुबन्ध के रूप में एक विवरणपत्र दिया गया है जिसमें 16 आयकर आयुक्तों के कार्य-क्षेत्रों में 25 मई, 1967 को कर की वापसी के मामलों की संख्या, 30 जून, 1967 तक इनमें से निपटाये गये मामलों की संख्या तथा 1 जुलाई, 1967 को अनिर्णित पड़े बाकी मामलों की संख्या गई है जो सभा पटल पर रखा गया है। [पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या LT—1127/67] शेष 11 कार्य-क्षेत्रों के बारे में ब्यौरे अभी प्राप्त नहीं हुए हैं । प्राप्त होने पर, इन कार्य-क्षेत्रों के बारे में सूचना कालान्तर में सदन की मेज पर रख दी जायेगी ।

(ग) यह बताना सम्भव नहीं है कि कर के अनिर्णित पड़े बकाया माम किस निश्चित तारीख तक निपटा दिए जायेंगे क्योंकि यह कई अलग अलग बातों पर निर्भर करता है, जैसे कर निर्धारितियों द्वारा अपेक्षित ब्यौरे पेश होना, तथा जांच-पड़ताल की आवश्यकता आदि । अनिर्णित पड़े मामलों में से कुछ में निर्धारितियों ने कर की वापसी के दावों के समर्थन में पूरे ब्यौरे नहीं दिये हैं और अन्य कुछ मामलों म जाच करना आवश्यक पाया गया है । लेकिन यह आशा की जाती है कि अनिर्णित पड़े मामलों में से अधिकांश मामलों पर शीघ्र ही निर्णय हो जायेगा ।